अर्ज़ी देने का ढंग

अर्ज़ी फ़ार्म आप होम ओनरशिप सर्विस से लें। इनका पता इस सेक्शन के अंत में दिया गया है।

आपकी अर्ज़ी पहुँचने के बाद 28 दिनों के अंदर कौंसिल आपको अवश्य बताएगी कि क्या आपको घर ख़रीदने का अधिकार है। यदि आपको अधिकार है, तो कौंसिल घर का मूल्य अगले 8 हफ़्तों में और फ़्लैट का मूल्य अगले 12 हफ़्तों में आपको बताएगी।

जब आपको सही प्रकार की मार्गेज मिल जाए और आप घर ख़रीदने के लिए तैयार हों, तो कौंसिल अवश्य घर का नक्शा और कानूनी दस्तावेज़ तैयार करके आपके सोलिस्टर को भेजेगी। इस काम में दो महीने तक का समय लग सकता है, जो इस बात पर निर्भर होगा कि आप घर ख़रीद रहे हैं या फ़्लैट, और यह रजिस्टर्ड भूमि पर है या अनरजिस्टर्ड भूमि पर है।

बेचने का काम पूरा होने से पहले आपके सोलिस्टर के लिए ज़रूरी होगा कि वह कौंसिल के सोलिस्टर के साथ मिलकर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ले।

जब आप घर ख़रीद लें

आप जब चाहें, अपना घर बेच सकते हैं। परंतु यदि आप इसे ख़रीदने के बाद तीन वर्षों के अंदर बेचेंगे, तो आपको मिली रियाइत के पैसों का कुछ भाग आपको कौंसिल को वापस देना होगा। यदि ख़रीदने के बाद एक वर्ष के अंदर आप घर बेचेंगे, तो तो आपको रियाइत से सभी पैसे कौंसिल को वापस करने होंगे। तीन वर्ष के बाद आप जब चाहें घर बेच सकते हैं और रियाइत के कोई भी पैसे आपको वापस नहीं करने होंगे।

अधिक जानकारी लेने के लिए आप इनके साथ संपर्क करें –

To apply for the Right to Buy
Homeownership
Perceval House
14-16 Uxbridge Road
Ealing W5 2HL
Phone: 020 8825 9506

If English is not your first language...

If you would like to discuss this information with someone who speaks your own language, please tick the box below to show which language you speak, fill in your name, address and telephone number and return the form to the address below.

[illegible] ☐

अगर अंग्रेज़ी आपकी मातृ-भाषा नहीं है...
अगर आपको हिन्दी में जानकारी चाहिए, तो कृपया खाने में सही का निशान लगा दें, अपना नाम, पता व टेलीफ़ोन नम्बर लिख दें और इस फ़ॉर्म को नीचे दिये गए पते पर वापस लौटा दें। ☐

Haddii Ingiriisku uusan aheyn luuqaddaada hooyo...
Haddii aad u baahantahay macluumaadkan oo af Soomaali ku qoran, fadlan calaamadi khaanadda loogu talagalay, qor magacaaga, cinwaankaaga, telefoonkaaga kuna soo celi foomka cinwaanka hoos ku qoran. ☐

Jeżeli angielski nie jest Pana/Pani językiem ojczystym...
Jeżeli chciał(a)by Pan(i) otrzymać tę informację w języku polskim, proszę zakreślić kratkę, wpisać imię i nazwisko, adres i nr telefonu oraz przesłać formularz na adres podany poniżej. ☐

[illegible] ☐

[illegible] ☐

Name ______
Address ______
Post Code ______ Telephone ______

The Language statements to be returned to:
ALMO Business Support Team,
Westec House, Westgate, Ealing W5 1YY

I require a copy in: Large Print ☐ Audio Tape ☐ Braille ☐

अपना कौंसिल वाला घर ख़रीदने का आपका अधिकार

कौंसिल के किराएदारों के लिए जानकारी

Ealing
www.ealing.gov.uk

Ealing Homes
quality, service and value

अपना कौंसिल वाला घर ख़रीदने का आपका अधिकार

कौंसिल के अधिकतर किराएदारों को अपना घर रियाइती मूल्य पर ख़रीदने का अधिकार होता है।

अपना कौंसिल वाला घर ख़रीदने के लिए ज़रूरी है कि आप सैक्योर किराएदार हों। कौंसिल के अधिकतर किराएदार सैक्योर किराएदार होते हैं। यदि आप किसी होस्टल या बैड ऐंड ब्रेकफ़ास्ट, शार्ट लाईफ़ घर या इस प्रकार की किसी अन्य रिहाइश में किराए पर रहते हैं, तो आप सैक्योर किराएदार नहीं हैं।

यह भी ज़रूरी है कि आप कम से कम दो वर्ष ईलिंग कौंसिल या किसी अन्य कौंसिल या कुछ हाऊज़िंग ऐसोसिएशनों या न्यूटाऊन आदि के किराएदार रहे हों, या यदि आप सेना में थे, तो आप सेना द्वारा प्रदान की रिहाइश में रहे हों।

यह भी ज़रूरी है कि आपका घर या फ़्लैट अलग रिहाइश हो और यह आपकी एक मात्र या मुख्य रिहाइश हो।

क्या मेरे घर के लोग मेरे साथ मिलकर घर ख़रीद सकते हैं?

घर के केवल वही लोग आपके साथ मिलकर घर ख़रीद सकते हैं जिनके लिए यह घर उनकी मुख्य रिहाइश है। ख़रीदने का अधिकार आपके परिवार के तीन तक लोगों का साँझा हो सकता है, यदि यह उन सब की मुख्य हिराइश है। आपकी पत्नी या पति के बिना यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ मिलकर घर ख़रीदना चाहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कि अर्ज़ी देने से कम से कम 12 महीने आपके साथ रहा/रही हो।

घर ख़रीदने का अधिकार कब नहीं होता

कुछ प्रकार के घर इस ढंग से नहीं ख़रीदे जा सकते जैसे –

- कुछ शैल्टर्ड घर
- कुछ घर जो वृद्ध लोगों के काम आ सकते हैं और पैन्शन लेने की उम्र के या अपंगता वाले लोगों को किराए पर दिए गए हैं।
- जो घर ख़ास तौर पर अपंगताओं वाले लोगों के लिए बनवाए या बदलाए गए हैं।
- घरों की मरम्मत करवाते समय जो घर कौंसिल अस्थाई तौर पर लोगों को देती है।
- कुछ घर, परंतु सभी नहीं, जो कौंसिल की नौकरी करने वाले लोगों को दिए जाते हैं, जैसे देखरेख करने वालों को।

रियाइतें

आप घर के मूल्य में रियाइत की माँग कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने समय से सैक्योर किराएदार हैं।

सही रियाइत इस बात पर निर्भर होगी कि सैक्योर किराएदार या सैनिक के तौर पर आपने रिहाइश पर कुल कितना ख़र्च किया। आप यह समय शामिल कर सकते हैं –

- ईलिंग कौंसिल के किराएदार के तौर पर

  या
- किसी अन्य कौंसिल के किराएदार के तौर पर

  या
- किसी अन्य प्रकार के किराएदार, जैसे टाऊन कार्पोरेशन या कुछ हाऊज़िंग ऐसोसिएशनों के किराएदार, के तौर पर बिताया समय

आप अलग अलग मकान मालिकों के घरों बिताया समय जमा कर सकते हैं।

जो समय आप जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह समय लगातार हो। जो समय आपके पति या पत्नी ने पब्लिक सेक्टर के किराएदार के तौर विवाह के बाद बिताया है वह भी आप जमा कर सकते हैं।

यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर घर ख़रीद रहे रहे हैं, तो जिस व्यक्ति का अधिकारी होने का समय अधिक लंबा होगा रियाइत उसके समय के अनुसार मिलेगी।

घर ख़रीदने के अधिकारी होने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम दो वर्ष सैक्योर किराएदार रहे हों। दो वर्ष के बाद प्रारंभिक रियाइत घरों के लिए 32% और फ़्लैटों और मेज़नैटों के लिए 44% मिलती है। यदि अधिक वर्षों के लिए रियाइत लेने का अधिकार आपको हो, तो हर अतिरिक्त वर्ष के लिए रियाइत बढ़ जाती है।

अधिक से अधिक रियाइत

- यदि आप घर ख़रीद रहे हैं, तो हर अतिरिक्त वर्ष के लिए रियाइत 1% है, जो अधिकारी होने के 30 या अधिक वर्षों के लिए अधिक से अधिक 60% होगी।
- यदि आप फ़्लैट या मेज़नैट घर ख़रीद रहे हैं, तो हर अतिरिक्त वर्ष के लिए रियाइत 2% है, जो अधिकारी होने के 15 या अधिक वर्षों के लिए अधिक से अधिक 70% होगी।
- परंतु कुल रियाइत से घर का मूल्य उस ख़र्च से कम नहीं हो जाना चाहिए जो ख़र्च घर देने के लिए कौंसिल कर रही है। अधिक से अधिक रियाइत £16,000.00 हो सकती है।

किराए से मार्गेज वाले ढंग से घर ख़रीदने का अधिकार

यदि आप घर ख़रीदना चाहते हैं, परंतु पूरे पैसे एक साथ नही दे सकते, तो किराए से मार्गेज वाले ढंग से आपकी मदद हो सकती है।

किराए से मार्गेज वाले ढंग से आप लगभग उतने ही पैसे देंगे जितना आप किराया देते हैं। शुरू में आप मूल्य का वह भाग देंगे जो रियाइत मिलने के बाद घर के मूल्य से कम होगा। इसके लिए पैसे आप किसी बिल्डिंग सोसाइटी या बैंक से उधार ले सकते हैं और हर महीने यह उधार के पैसे वापस देने का ख़र्च आपके किराए से अधिक नहीं होगा।

यदि बाद में आप घर बेचना चाहें, तो इसके मूल्य में से आप मकान मालिक का भाग दे सकते हैं। शुरू में जितने अधिक पैसे आप देंगे, बाद में आपको उतने ही कम पैसे आपको देने होंगे।

रियाइत पर घर ख़रीदने के नियम उन नियमों से कुछ अलग प्रकार के हैं, तो किराए से मार्गेज वाले ढंग पर लागू होते हैं। अधिक जानकारी लेने के लिए आप होम ओनरशिप आफ़िस से बात करें।

Ealing Homes
quality, service and value